

23-11-17

वकील अपीलान्ट या स्वयं अपीलान्ट कोई उपस्थित नहीं है।  
अपीलान्ट को बार-बार आवाजेँ दिलाई गई। अपी-की  
ओर से कोई उपस्थित नहीं आया। अतः अपील अदम  
हाजरी व अदम पैरवी में खारिज की जाती है।  
पत्रावली के सल्ल श्रुमार होकर वाद तर्कहीन जावत  
कारखेला दफ्तर हो।

संभागीय आयुक्त  
भरतपुर संभाग, भरतपुर